

## भाग-III

हरियाणा सरकार

गृह विभाग

अधिसूचना

दिनांक 8 मई, 2017

संख्या का०आ० 35/ह०अ० 25/2008/धा० 92/2017.- हरियाणा पुलिस अधिनियम, 2007 (2008 का 25), की धारा 92 की उपधारा (1) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, पंजाब पुलिस नियम, 1934, हरियाणा राज्यार्थ, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. ये नियम पंजाब पुलिस (हरियाणा संशोधन) नियम, 2017, कहे जा सकते हैं ।
2. पंजाब पुलिस नियम, 1934 में, नियम 12.16 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-  
"12.16 सीधी भर्ती हेतु प्रक्रिया ,-

## (1) रिक्तियों की प्रतिशतता:

सिपाही के रैंक में सभी रिक्तियां तथा उप निरीक्षक के रैंक में कुल पदों की पचास प्रतिशत (स्थाई तथा अस्थाई दोनों) सीधी भर्ती द्वारा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भरी जाएगी:

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों में से तीन प्रतिशत रिक्तियां उत्कृष्ट खिलाड़ियों से भरी जाएगी,-

(क) हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग एक या अधिक तकनीकी विशेषज्ञ जैसे कि सेवारत या सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी जो पुलिस उप अधीक्षक की पदवी से नीचे के न हो, मनोवैज्ञानिक, चिकित्सकों, विषय विशेषज्ञों इत्यादि, को समय-समय पर अपनी सहायता के लिए सहयोजित कर सकता है। ये विशेषज्ञ अपने-अपने सम्बद्ध क्षेत्रों में न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव रखने वाले प्रतिष्ठाप्राप्त व्यक्ति होंगे।

(ख) हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया के प्रबन्धन के लिए कम्प्यूटर आधारित प्रबन्धन सूचना प्रणाली जारी रखने के लिए उत्तदायी होगा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने, प्रक्रिया करने, पूरी चयन प्रक्रिया में प्रत्येक उम्मीदवार की उन्नति का रिकार्ड रखना तथा परिणाम तैयार करना इत्यादि शामिल है ।

## (2) मांग:

जब कभी सीधी भर्ती हेतु रिक्तियों की पर्याप्त संख्या हो, तो राज्य सरकार के अनुमोदन के बाद, पुलिस महानिदेशक, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को मांग भेजेगा ।

## (3) सार्वजनिक अधिसूचना :

पुलिस महानिदेशक से मांग की प्राप्ति पर, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग राज्य में कम-से-कम दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों, जिनमें से एक हिन्दी तथा दूसरा अंग्रेजी में होगा, आवेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से कम से कम पन्द्रह दिन पहले रिक्तियां अधिसूचित करेगा। विज्ञापन में रिक्तियों का विवरण, आवेदन का ढंग तथा पात्रता शर्तें इत्यादि होंगी। अन्य ब्यौरे हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की कार्यालय वेबसाइट पर डाले जाएंगे ।

## (4) आवेदन:

(क) आवेदन विहित फीस के साथ ऑनलाइन प्राप्त किये जाएंगे। उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन प्रस्तुत की गई सूचना अन्तिम होगी । एक ही उम्मीदवार से प्राप्त किये गए एक से अधिक आवेदनों को चिन्हित किया जाएगा और विहित अवधि के भीतर प्राप्त किया गया अन्तिम आवेदन स्वीकारा जाएगा ।

(ख) पात्र उम्मीदवारों को रोल नम्बर आबंटित किए जाएंगे तथा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की कार्यालय वेबसाइट पर डाल दिए जाएंगे। एक बार रोल नम्बर आबंटित होने पर, उम्मीदवार चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए बार-कोडिड प्रवेश पत्र को जनरेट करने के लिए समर्थ हो जाएगा ।

## (5) ज्ञान परीक्षा (80 प्रतिशत वेटेज):

ज्ञान परीक्षा की विस्तृत प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

(क) सभी उम्मीदवारों को वस्तुनिष्ठ किस्म, एकाधिक पसन्द वाले प्रश्नों के साथ अस्सी अंकों की ज्ञान परीक्षा देनी होगी ।

(ख) ज्ञान परीक्षा में वस्तुनिष्ठ किस्म के 100 एकाधिक पसन्द वाले प्रश्न होंगे तथा प्रत्येक प्रश्न 0.80 अंक का होगा और अवधि नब्बे मिनट होगी। यह सभी पात्र उम्मीदवारों हेतु एक साथ आयोजित की जाएगी। परीक्षा का माध्यम जहां उम्मीदवारों का अंग्रेजी भाषा का ज्ञान परीक्षित किया जाना है को छोड़कर हिन्दी में होगा।

- (ग) परीक्षा पत्र जिसमें सामान्य अध्ययन, कृषि, पशुपालन, तर्क, सामयिक मामले, संख्यात्मक योग्यता, सामान्य विज्ञान, अभिरुचि, सम्बन्धित क्षेत्र/ट्रेड इत्यादि पर आधारित प्रश्न होंगे। कम्प्यूटर वेसिक ज्ञान से सम्बन्धित कम से कम दस प्रश्न होंगे। प्रश्नों का स्तर सिपाही के पद के लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10+2 परीक्षा और उप निरीक्षक के पद हेतु मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पास शिक्षित व्यक्ति की अनुमानित योग्यता जैसा होगा।
- (घ) प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा तथा अत्यंत गोपनीयता के साथ मुद्रित किया जाएगा। प्रश्न पत्र की समरूप सेट की एक से अधिक भिन्न-भिन्न श्रृंखला होगी और नकल रोकने के लिए परीक्षा कक्ष में दो निकटवर्ती उम्मीदवारों के पास प्रश्न पेपरों की समरूप श्रृंखला नहीं होगी। ऑप्टिकल मार्क रिकोगनिशन स्केनिंग हेतु उत्तर पुस्तिका डिजाइन की जाएगी। दोहरी उत्तर पुस्तिका हेतु कार्बनहीन पेपर उपयोग किया जाएगा। उम्मीदवार ज्ञान परीक्षा समाप्त होने के बाद उसकी डुप्लीकेट प्रति वाली एक प्रति ले जाएंगे। विभिन्न परीक्षा केन्द्रों में सीलबन्द प्रश्न पेपरों तथा ऑप्टिकल मार्क रिकोगनिशन सीट के वितरण प्रक्रिया हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्णित की जाएगी। उम्मीदवारों के प्रतिरूपण रोकने के लिए ऑप्टिकल मार्क रिकोगनिशन सीट पर उसके अंगूठे का चिह्न अंकित करना भी अनिवार्य होगा।
- (ङ) ज्ञान परीक्षा की समाप्ति पर शीघ्र अति शीघ्र, प्रत्येक परीक्षा केन्द्र से संग्रहण की गई उत्तर पुस्तिकाएं को सीलबन्द लिफाफे में रखा जाएगा। ये लिफाफे बॉक्सों में रखे जाएंगे तथा दौबारा सीलबन्द किए जाएंगे और मूल्यांकन केन्द्र(केन्द्रों) पर पहुंचाए जाएंगे।
- (च) उत्तर कुंजी परीक्षा के बाद, शीघ्र ही हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की कार्यालय वेबसाइट पर सार्वजनिक की जाएगी।
- (छ) मूल्यांकन केन्द्र पर, उत्तर पुस्तिकाओं वाले बॉक्स केवल हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामनिर्देशित कमेटी द्वारा खोले जाएंगे। ऑप्टिकल मार्क रिकोगनिशन उत्तर पुस्तिकाएं स्केन की जाएंगी और परीक्षा परिणाम डाटा बेस में सुरक्षित रखा जाएगा।
- (6) शारीरिक नाप परीक्षा (पी0एम0टी0):
- (क) प्रत्येक प्रवर्ग में रिक्तियों की संख्या के सात गुणा उम्मीदवार, अर्हक की गई ज्ञान परीक्षा के रूप में घोषित किये जाएंगे।
- (ख) वे उम्मीदवार जिन्होंने ज्ञान परीक्षा अर्हक की हैं को पंजाब पुलिस नियम, 1934 के नियम 12.15 (2) में विहित मानकों के अनुसार शारीरिक नाप परीक्षा से गुजरना होगा।
- (ग) शारीरिक नाप परीक्षा की सम्पूर्ण प्रक्रिया करने में टेम्पर प्रूफ, उचित और निष्पक्ष मानक डिजिटल मापतोल यन्त्रों का उपयोग सम्भव सीमा तक किया जाएगा ताकि उम्मीदवार डिजिटल डिसप्ले मानीटर पर उनके नाप को पढ़ने में सक्षम हों। शारीरिक नाप परीक्षा का परिणाम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा तैयार किया जायेगा। भर्ती हेतु हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग इसे अपनी कार्यालय की वेबसाइट पर शीघ्र प्रदर्शित करेगा।
- (7) शारीरिक जाँच परीक्षा (पी0 एस0 टी0) :
- (क) सभी उम्मीदवारों, जिन्होंने शारीरिक नाप परीक्षा अर्हक कर ली हो, को उनकी शारीरिक योग्यता तथा क्षमता को जाँचने के लिए शारीरिक जांच परीक्षा देनी होगी जो केवल अर्हक स्वरूप की होगी। इस परीक्षा के लिए विहित मानक नीचे दिए अनुसार होंगे;—

क्रम संख्या	उम्मीदवार	टेस्ट दूरी	अर्हक समय
1.	पुरुष	2.5 किलोमीटर	12 मिनट
2.	महिला	1.0 किलोमीटर	06 मिनट
3.	भूतपूर्व सैनिक	1.0 किलोमीटर	05 मिनट

टिप्पणी.— आर. एफ. आई. डी. (रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान यन्त्र) या किसी भी अन्य उत्तम तथा विश्वसनीय प्रौद्योगिकी का उपयोग हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के विवेक पर इस परीक्षा की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने के लिए होगा।

- (ख) इस परीक्षा से गुजरने के लिए अपेक्षित मेडिकल स्वस्थता परीक्षण की जिम्मेवारी उम्मीदवार की होगी।
- (ग) उम्मीदवार जो शारीरिक जांच परीक्षा के लिए विहित मानकों को पूरा करने में असफल रहते हैं को आगे की चयन प्रक्रिया से निकाल दिया जाएगा।
- (घ) उम्मीदवार जो शारीरिक जाँच परीक्षा के लिए विहित मानकों को अर्हक करते हैं आगे की चयन प्रक्रिया में भाग लेंगे।
- (ङ) शारीरिक जांच परीक्षा का परिणाम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा तैयार किया जाएगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग शीघ्र ही अपनी कार्यालय वेबसाइट पर प्रदर्शित करेगा।

- (8) दस्तावेजों की जांच पड़ताल (8 प्रतिशत वेटेज):
- (क) सभी उम्मीदवारों जिन्होंने शारीरिक जाँच परीक्षा अर्हक कर ली हो को दस्तावेजों की जांच पड़ताल के लिए बुलाया जाएगा। सभी अन्य उम्मीदवारों को आगे की चयन प्रक्रिया से निकाल दिया जाएगा।
- (ख) शिक्षा (अधिकतम 05 अंक):- उच्च शिक्षा अर्थात् स्नातक की डिग्री वाले उम्मीदवार को तीन अंक जबकि स्नातकोत्तर डिग्री वाले उम्मीदवार को पांच अंक प्रदान किए जाएंगे।
- (ग) राष्ट्रीय कैडेट कोर प्रमाण-पत्र (अधिकतम 03 अंक):- ए, बी या सी स्तर का राष्ट्रीय कैडेट कोर प्रमाण-पत्र रखने वाले उम्मीदवार को क्रमशः एक, दो तथा तीन अंक प्रदान किए जाएंगे।
- या
- हरियाणा कैडेट कोर प्रमाण-पत्र (अधिकतम तीन अंक):- ए या बी स्तर का हरियाणा कैडेट कोर प्रमाण-पत्र रखने वाले उम्मीदवार को क्रमशः एक तथा तीन अंक प्रदान किए जाएंगे।
- (ख) आरक्षण लाभ तथा छूट के लिए तथा/या अतिरिक्त अंकों के लिए दावों, यदि कोई हो, केवल उन उम्मीदवारों के लिए स्वीकार्य होंगे जो उनके दावों के समर्थन में जांच के लिए अपेक्षित वैध मूल प्रमाण-पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करेंगे। असफल रहने पर, वे सामान्य प्रवर्ग में विचारे जाएंगे बशर्ते वे अन्यथा पात्र हैं। इस संबंध में सूचना हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की कार्यालय वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी।
- (9) साक्षात्कार एवं व्यक्तित्व परीक्षा (आई.-पी.टी.) (12 प्रतिशत वेटेज) :
- (क) उम्मीदवारों रिक्तियों की दोगुणा संख्या में, जिन्होंने शारीरिक जाँच परीक्षा अर्हक कर ली हो, को साक्षात्कार एवं व्यक्तित्व परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा।
- (ख) साक्षात्कार परीक्षा कुल बारह अंकों की होगी।
- (10) परीक्षा परिणाम :
- (क) पृथक रूप से प्रत्येक प्रवर्ग के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित रिक्तियों की कुल संख्या के बराबर उम्मीदवारों द्वारा (ज्ञान परीक्षा+जाँच पड़ताल (शिक्षा तथा राष्ट्रीय कैडेट कोर/हरियाणा कैडेट कोर) + साक्षात्कार एवं व्यक्तित्व परीक्षा) प्राप्त योग अंकों के आधार पर मैरिट के क्रम में सफल उम्मीदवारों के नाम क्रमबद्ध किये जाएंगे।
- (ख) यदि जहाँ दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के योग अंक बराबर हैं, तो योग्यता का क्रम ज्ञान परीक्षा में प्राप्त किए गए उच्चतर अंक द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
- (ग) यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के ज्ञान परीक्षा में योग अंक के साथ-साथ अंक भी बराबर हैं, तो योग्यता का क्रम आयु द्वारा मार्गदर्शित किया जाएगा अर्थात् आयु में छोटे से आयु में बड़े को उच्चतर स्थान पर रखा जाएगा।
- (घ) आगे जहाँ दो या अधिक उम्मीदवारों के ज्ञान परीक्षा में योग अंक के साथ-साथ अंक भी बराबर हैं तथा जन्म तिथि भी समान हैं, तो योग्यताक्रम उनकी उच्चतर शैक्षिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवार के पक्ष में होगा।
- (ङ) हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग नामांकन के लिए पुलिस महानिदेशक को प्रथक रूप से प्रत्येक प्रवर्ग में अपेक्षित मांग की रिक्तियों की कुल संख्या के बराबर सफल उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश करेगा। इस प्रकार सिफारिश की गई उम्मीदवारों की सूची हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग तथा पुलिस की कार्यालय वेबसाइटों पर भी डाली जाएगी। कोई प्रतीक्षा सूची नहीं होगी।
- (च) नियुक्ति प्राधिकारी नियुक्ति से पूर्व चिकित्सा स्वस्थता और चरित्र सत्यापन और पूर्ववृत्त सुनिश्चित करेगा। विज्ञापित रिक्तियाँ, यदि कोई हों, चिकित्सा आधारों या चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापन या अन्यथा के कारण यदि उम्मीदवारों की अस्वीकृति के कारण भरी जानी शेष रह जाती हैं, तो अगली भर्ती में भरी जाएंगी।
- (11) विशेष भर्ती :
- भर्ती की उपरोक्त प्रक्रिया हरियाणा सरकार की अनुग्रहपूर्वक स्कीम, यदि कोई हो, के अधीन सिपाहियों के रूप में मृतक पुलिस कर्मियों के बच्चों की नियुक्ति हेतु लागू नहीं होगी। हरियाणा पुलिस की विशेषाकृत विंग अर्थात् दूर-संचार विंग, हरियाणा पुलिस कमान्डों बल, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, बैंड तथा विगुलवादक अमला, घुड़सवार पुलिस, कुत्ता दस्ता, साईबर सैल तथा विशेष योग्यता या अनुभव सहित तथा अन्य विशेषीकृत विंगों में जो भविष्य में सरकार द्वारा स्वीकृत हैं या सृजित/स्वीकृत किये जाएं, सिपाहियों की भर्ती पर भी लागू नहीं होगी। इन विशेषीकृत विंगों हेतु प्रक्रिया ऐसी होगी जो पुलिस महानिदेशक की सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमोदित की जाएगी।”।

राम निवास,  
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
गृह विभाग, चण्डीगढ़।

**HARYANA GOVERNMENT**  
**HOME DEPARTMENT**

**Notification**

The 8th May, 2017

**No. S.O. 35/H.A. 25/2008/S. 92/2017.**— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, read with section 92 of sub-section(1) of the Haryana Police Act, 2007 (25 of 2008), the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Punjab Police Rules, 1934 in their application to the State of Haryana, namely:-

1. These rules may be called the Punjab Police (Haryana Amendment) Rules, 2017.
2. In the Punjab Police Rules, 1934, for rule 12.16, the following rule shall be substituted, namely:-

**“12.16 Procedure for direct recruitment-**

**(1) Percentage of vacancies:**

All vacancies in the rank of Constable and fifty percent (50%) of the total posts (both temporary and permanent) in the rank of sub Inspector shall be filled up by direct recruitment through Haryana Staff Selection Commission:

Provided that three percent (3%) vacancies out of the vacancies to be filled up by direct recruitment shall be filled up from outstanding sportspersons,—

- (a) The Haryana Staff Selection Commission may co-opt one or more technical experts such as serving or retired police officer (not below the rank of Deputy Superintendent of Police), psychologists, doctors, subject matter experts etc. from time to time, to assist them. These experts shall be persons of repute in their respective fields having minimum ten years experience.
- (b) The Haryana Staff Selection Commission shall be responsible for maintaining a computer-based Management Information System for managing the entire selection process including, inter alia, receiving the on-line applications, processing, keeping record of progress of each candidate throughout the selection process and preparing the result etc.

**(2) Requisition:**

Whenever there are sufficient numbers of vacancies for direct recruitment, the Director General of Police shall, after the approval of the State Government, send the requisition to the Haryana Staff Selection Commission.

**(3) Public notification:**

On receipt of requisition from the Director General of Police, the Haryana Staff Selection Commission shall notify the vacancies at least fifteen days (15) prior to the last date for submission of applications in at least two (2) prominent daily newspapers in the State, one of which shall be in Hindi and other in English. The advertisement shall give detail of vacancies, mode of application and the eligibility conditions etc. The other details shall be posted on the official website of Haryana Staff Selection Commission.

**(4) Applications:**

- (a) Applications with prescribed fee shall be received online. The information submitted online by the candidates shall be final. Multiple applications received from the same candidate shall be identified and the application last received within the prescribed period shall be entertained.
- (b) Roll number shall be allotted to the eligible candidates and put on the official website of the Haryana Staff Selection Commission. Once the roll numbers are allotted, the candidate shall be able to generate bar-coded Admit Cards to join the process of selection.

**(5) Knowledge Test (80% weightage):**

The detailed procedure of Knowledge Test shall be as follows:

- (a) All candidates shall have to undergo a Knowledge Test of eighty (80) marks comprising of objective type, multiple choice questions.
- (b) The Knowledge Test shall be of the objective type having 100 multiple choice questions of 0.80 marks each and of ninety (90) minutes duration. It shall be held simultaneously for all eligible candidates. The medium of examination shall be Hindi except where the knowledge of English language of the candidates is to be tested.

- (c) The test paper shall include questions on General studies, Agriculture, Animal husbandry, Reasoning, Current affairs, Numerical ability, General science, Aptitude, relevant field / trade etc. There shall be at least ten (10) questions relating to computer basic knowledge. The standard of questions shall be as expected of an educated person having passed 10+2 examination of Board of School Education, Haryana for the post of Constable and Graduation from a recognized university for the post of Sub- Inspector.
- (d) The question papers shall be prepared and got printed with utmost secrecy. There shall be more than one different series of same set of question paper and no two adjacent candidates in the examination hall shall have the same series of question papers to avoid copying. The answer sheets shall be designed for Optical Mark Recognition (OMR) scanning. Carbonless paper shall be used for duplicate answer sheets. The candidates shall carry the duplicate copy with them after the Knowledge Test is over. The process of distribution of sealed question papers and Optical Mark Recognition sheets to various examination centers shall be decided by the Haryana Staff Selection Commission. The candidate shall also affix his thumb impression on the Optical Mark Recognition (OMR) sheet to avoid impersonation.
- (e) As soon as Knowledge Test is over, the answer sheets collected from each examination centre shall be put in sealed covers. These covers shall be put in boxes and again sealed and carried over to the evaluation centre(s).
- (f) The answer key shall be made public on the official website of the Haryana Staff Selection Commission after the test expeditiously.
- (g) At the evaluation centre, the boxes containing answer sheets shall be opened only by a Committee nominated by the Haryana Staff Selection Commission. The Optical Mark Recognition answer sheets shall be scanned and the result saved in the database.
- (6) Physical Measurement Test (PMT):**
- (a) Candidates, seven (07) times the number of vacancies in each category, shall be declared to have qualified the Knowledge Test.
- (b) The candidates who qualified the Knowledge Test shall have to undergo Physical Measurement Test as per standards prescribed under Punjab Police Rule 12.15 (2).
- (c) To make the entire process of the Physical Measurement Test tamper proof, fair and impartial, standard digital measurement devices shall be used to the extent possible, in a manner that the candidates are able to read their measurements on a digital display monitor. The result of Physical Measurement Test shall be prepared by the Haryana Staff Selection Commission. The Haryana Staff Selection Commission shall display the same on its official website expeditiously.
- (7) Physical Screening Test (PST):**
- (a) All candidates, who qualified the Physical Measurement Test shall be put to a Physical Screening Test, which will be of only qualifying nature, to judge their physical fitness and endurance. The standards prescribed for this test shall be as under:-
- | Candidates        | Test distance | Qualifying Time |
|-------------------|---------------|-----------------|
| 1. Male           | 2.5 Kilometer | 12 minutes      |
| 2. Female         | 1.0 Kilometer | 6 minutes       |
| 3. Ex.-serviceman | 1.0 Kilometer | 5 minutes       |
- Note:-** RFID (Radio Frequency Identification Device) or any other superior and reliable technology shall be used to ensure reliability of this test at the discretion of the Haryana Staff Selection Commission.
- (b) The responsibility of having the requisite medical fitness to undergo this test shall rest upon the candidate.
- (c) The candidates who fail to meet the standards prescribed for Physical Screening Test shall stand eliminated from further selection process.
- (d) The candidates who qualify the standards prescribed for PST shall take part in the further process of selection.
- (e) The result of Physical Screening Test shall be prepared by the Haryana Staff Selection Commission. The Haryana Staff Selection Commission shall display the same on its official website expeditiously.

**(8) Scrutiny of documents (8% weightage):**

- (a) All candidates who have qualified the Physical Screening Test shall be called for scrutiny of documents. All other candidates shall stand eliminated from further process of selection.
- (b) Education (maximum 05 marks): Candidate with higher education i.e. with Graduate degree shall get three (03) marks; while, candidate with Post Graduate degree shall get total five (05) marks.
- (c) NCC Certification Certificate (maximum 03 marks): Candidate having NCC certificate of A, B or C level shall get 01, 02 and 03 marks respectively. or  
Haryana Cadet Corps (HCC) Certificate (maximum 03 marks): Candidate having HCC Certificate of A or B level shall get 01 and 03 marks respectively.
- (d) Claim of reservation benefit or for relaxation and /or for extra marks, if any, shall be admissible to only those candidates, who submit the requisite valid original certificates for scrutiny alongwith application in support of their claim. Failing which, they may be considered under general category provided they are otherwise eligible. Information in this regard will be displayed on official website of the Haryana Staff Selection Commission.

**(9) Interview-cum-Personality Test (I-PT) (12% weightage):**

- (a) Candidates twice the number of vacancies, who qualify the Physical Screening Test, shall be called for Interview-cum-Personality Test.
- (b) The Interview test shall be of total twelve (12) marks.

**(10) Result of Examination:**

- (a) The names of successful candidates in the order of merit on the basis of aggregate marks achieved by the candidates in (Knowledge Test + Scrutiny (Education and NCC/HCC) + Interview cum-Personality Test) shall be arranged by the Haryana Staff Selection Commission equal to the total number of vacancies advertised for each category separately.
- (b) In case two or more candidates have the same aggregate score, the order of merit shall be determined by the higher score achieved in the Knowledge Test.
- (c) Whereas two or more candidates have the same aggregate score as well as the same score in Knowledge Test also, the order of merit shall be guided by the age of the candidate, i.e. the oldest being placed higher than the younger ones.
- (d) Further where two or more candidates have the same aggregate score as well as the same score in Knowledge Test and their date of birth is also same, the order of merit shall in favour of the candidate having higher educational qualification.
- (e) The Haryana Staff Selection Commission shall recommend the names of successful candidates equal to the total number of vacancies requisitioned in each category, separately to the Director General of Police for enrolment. The list of candidates so recommended shall also be put on the official websites of Haryana Staff Selection Commission and Haryana Police. There shall be no waiting list.
- (f) The appointing authorities shall ensure medical fitness and verification of characters certificate and antecedents before appointment. Vacancies advertised, if any, remaining unfilled because of rejection of candidates on medical grounds or character and antecedents verification or otherwise shall be considered in next recruitment.

**(11) Special Recruitments:**

The above procedure of recruitment shall not apply to the appointment of the children of deceased police officials as constables under the ex-gratia scheme, if any, by the Haryana Government. It shall also not apply to the recruitment of Constables in specialized wings of Haryana Police viz; Telecommunication wing, the Haryana Police Commando Force, the State Crime Record Bureau, the Band and Buglers Staff, the Mounted Police, Dog Squad, Cyber Cell and officials with special qualifications or experience and to other specialized wings which are sanctioned or may be created/sanctioned by the Government in future. The procedure for these specialized wings shall be such as approved by the State Government on the recommendation of Director General of Police Haryana from time to time.”.

RAM NIWAS,  
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,  
Home Department.